

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 279 B / 2021


वादीगण-

1. बस्तीराम पुत्र रेखाराम
जाति-मेघवाल निवासी-मुण्डी, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. रेखाराम पुत्र मुलाराम
2. भवरलाल पुत्र रेखाराम
3. गोविन्दराम पुत्र रेखाराम
4. रामविलास पुत्र रेखाराम
जातियान-मेघवाल निवासीगण- मुण्डी, तहसील जायल (नागौर)
5. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।



उपस्थिति :-

1. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 30/11/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा मुण्डी तहसील जायल में खेत खसरा नं. 179 रकबा 5.4713 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित खेताय जो वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रेखाराम के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है जो पुस्तैनी बडेर की भूमि होने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का हक अधिकार रहता रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने से व जन्म से हक अधिकार होने पर भी खातेदारी भूमि में नाम दर्ज नहीं होने तथा राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिक्वॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने दिनांक 30.11.2021 को राजीनामा प्रशासन

for
सहायक कलेक्टर
(व.व.ओ.) जायल

गांवों के संग अभियान कैम्प शिविर ग्राम पंचायत भावला में पेश किया जिसमें वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 स्वयं उपस्थित हुवे। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार स्वयं प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह बस्तीराम पुत्र रेखाराम, भंवरलाल पुत्र रेखाराम के पेश हुवे साथ ही, जमाबन्दी ग्राम मुण्डी तहसील-जायल सम्बत् 2073-2076 खाता संख्या 403 प्रदर्श-1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा एवं स्वयं उपस्थिति के साथ साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा एवं साक्ष्य शपथ पत्र में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा सहमति से वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 30.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं साक्ष्य शपथ पत्र पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के वादपत्र में जमाबन्दी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 30.11.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1

SAV
सहायक कलक्टर
(सच.बी.ओ.) जायल

से 4 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा मुण्डी के वादग्रस्त खेतार्यों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से की नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते हैं, चूंकि वादग्रस्त खेतार्य में पक्षकारान् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा खेत खसरा नं. 179 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 रेखाराम पुत्र मुलाराम के साथ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने सहखातेदारी की इस्तदुआ चाही है। अतः मौजा मुण्डी के खेत खसरा नंबर 179 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 रेखाराम के साथ सहखातेदार घोषित कर हम वादीगण का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

— :: आदेश :: —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. यह है कि मौजा मुण्डी के खेत खसरा नंबर 179 में वादी बस्तीराम व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 कमश भंवरलाल, गोविन्दराम, रामविलास को प्रतिवादी संख्या 1 रेखाराम पुत्र मुलाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



30/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 272A / 2021

वादीगण-

1. बस्तीराम पुत्र रेखाराम , जाति-मेघवाल निवासी-मुण्डी, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. रेखाराम पुत्र मुलाराम
2. भंवरलाल पुत्र रेखाराम
3. गोविन्दराम पुत्र रेखाराम
4. रामविलास पुत्र रेखाराम

जातियान-मेघवाल निवासीगण- मुण्डी, तहसील जायल (नागौर)

5. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :-

1. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. यह है कि मौजा मुण्डी के खेत खसरा नंबर 179 में वादी बस्तीराम व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 कमश भंवरलाल, गोविन्दराम, रामविलास को प्रतिवादी संख्या 1 रेखाराम पुत्र मुलाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

नोट- बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो तथा यदि बैंक के विवादग्रस्त खसरान् रहनमुक्त नहीं है तो यथावत बैंक के रहन रहेंगें।

30/11/2021
(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज - मुबलिग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह -
सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे
दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30/11/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये
दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

30/11/2021
(रवीन्द कुमार) कलेक्टर
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)